श्योपुर बाढ़ घोटाला : आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 25 अक्टूबर। श्योपुर जिले की बड़ौदा में बाढ़ राहत घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामलखन नापाखेड़ली ने एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल से मुलाकात की है।

भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने एक आवेदन देकर एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल को अवगत कराया कि वर्ष 2021 में जिले सहित बड़ौदा में भीषण बाढ़ देखने को मिली और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि भेजी थी. लेकिन राजस्व महकमें के कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलकर अपने परीक्षितों एवं रिश्तेदारों के खाते में रसीद डालकर उन पीड़ितों के आंसू पहुंचने की जगह निर्दयी होकर राशि का बंदरबाट कर लिया गया. जिसकी जांच एसडीओपी बडौदा द्वारा वर्तमान में जा रही है.

इस मामले में 110 पटवारी सहित उनके परिचितों एवं रिश्तेदारों पर राशि हड़पने के मामले में दोषी पाया जाकर आरोपी बनाया जा चुका है.पुलिस किसी कार्रवाई की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है लेकिन एक शंका भी मन में पैदा हो रही है कि इतने बड़े घोटाले में केवल पटवारी ही नहीं राजस्व महक में के उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं.इसलिए यह जांच वहां तक भी पहुंचे जिसमें कोई भी अधिकारी शामिल हो उसके आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में शासन द्वारा पीड़ितों के लिए भेजी जाने वाली राशि का कोई बंदरबाट ना कर सके. सहित गिरफ्तारी की मांग तेज करने की बात भी पुलिस अधीक्षक से की गई है।

क्या है मामला : श्योपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी जल त्रासदी जो इंसानी करम था अथवा कुदरत का कहर,यह तो आज तक पता नहीं चल सका परन्तु 03 अगस्त 2021 की बाढ़ का वह भयावह मंजर जिसे राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारी एवं पटवारीयों के सिवाय शायद एसा कोई नहीं होगा जो उस दृश्य को सपने में भी याद करना चाहता होगा ? उल्लेखनीय है कि लोगो की तबाही की तस्वीरें सोशल मीडीया के माध्यम से विश्व पटल तक पर दिखने के बाद तत्कालीन सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा जहां 50-50 लाख रूपये श्योपुर और बड़ौदा को प्रदान किये गये थे।

वहीं राज्य सरकार द्वारा भी फेरी राहत देते हुए नुकसान की भरपाई

भलेही ना हो पाये पर उनके आंसू पोंछने का प्रयास जरूर किया गया था। जिसके तहत जो राशि पीड़ीतों को ट्रॉन्सफर की जानी थी वह बंदरबांट कर हजम कर गया राजस्व अमला। बाढ़ राहत के नाम पर डाली गई राशि पर श्योपुर विधायक सहित अन्य कई नेताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था जिस पर तत्कालीन कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई जांच उपरांत सितम्बर 2023 में पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया था. जिसमें प्रशासन द्वारा 2.57 करोड़ रुपये की वितरीत की गई राशि संदेहास्पद मानी गई थी और तत्समय तत्कालीन तहसीलदार बड़ौदा सीताराम वर्मा द्वारा 06 नामित पटवारीयों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी साथ ही अन्य शब्द जोड़ा गया था जिस पर पुलिस की विवेचना उपरांत थाना स्तर से उक्त मामले में तत्कालीन जांच कर्ता अधिकारी द्वारा भृष्टाचार की धारा को जोड़ा जाकर जांच आगे बड़ाई गई. उक्त धारा के जुड़ने के पश्चात मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को करना होती है जिसके चलते 01 जुलाई 2025 से बड़ौदा एसडीओपी द्वारा वर्तमान मैं मामले की जाँच की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार बड़ौदा, सहित 25 पटवारी एवं 84 वह लोग जिनके खातों में मिलीभगत कर पैसे डालकर उसकी बंदरबांट की गई सबको मिलाकर कुल 111 आरोपियों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है। हालाकि प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें से 05 पटवारी सहित 04 आम जन को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। जिसके चलते वह अभी जमानत पर है शेष आरोपियों की जांच जारी बनी हुई है. आरोपियों का पक्ष जानने के लिये विगत तीन माह पूर्व जांच अधिकारी द्वारा बतौर आरोपी उनका पक्ष जानने के लिये तत्कालीन तहसीलदार एवं आरआई को छोड़कर अन्य 19 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया था परन्तु तीन माह बाद भी अब तक वह अपना पक्ष रखने इके लिये अनुविभागीय कार्यालय बड़ौदा नहीं पहुंचे।

19 पटवारियों की विभागीय जांच हाल ही में हुई समाप्त, वह भी संदेह के दायरे में : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार के लगभग 01 माह पूर्व तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी बी एस श्रीवास्तव श्योपुर द्वारा 19 पटवारियों के विरूद्ध चल रही विभागीय जांच एक एक असंचयी प्रभाव से वेतन बृद्धि रोकने के साथ की हैं जो भी संदेह के दायरे में प्रतीत हो रही है कि आखिर जिस मामले में तीन पटवारियों की सेवा समाप्ती की जा चुकी है,06 पटवारी जेल तक की यात्रा कर के आ चुके है, ऐसे में उसी मामले में बाकी पटवारीयों को किस आधार पर क्लीन चिट दी जा सकती है और यदि यह सजा हैं तो फिर सभी को यही सजा दी जानी चाहिये. कुल मिलाकर 19 पटवारियों की विभागीय जांच निपटान भी अब संदेह के दायरे मैं आ गया है। जिनकी विभागीय जांच समाप्त की गई है, उनमें बुध्दिप्रकाश जाटव, योगेश जिंदल, रामदयाल जगा, नितेश मीणा, अनिल, महेंद्र, अफसार अंसारी, हुकुमचंद बिसारिया, अखिलेश जैन, भोलाराम गुप्ता, रामहेत टैगोर, सुमित देसलहरा, शंकरलाल, ब्रजराज, राजवीर, रामनरेश, सोनेराम धाकड़, विनोद, संजय रावत का नाम शामिल है।

तीन पटवारी बर्खास्त किए जा चुके हैं अब तक इस मामले में

बाढ़ राहत घोटाले की गड़बड़ियां उजागर होने के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्योपुर शिवम वर्मा द्वारा जिले के तीन पटवारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया हैं, वहीं तीन अन्य पटवारी उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर बाहर है। साथ ही 19 पटवारियों को अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा विभागीय जांच में एक असंचयी वेतन बुद्धि की सजा के साथ लगभग आरोप मुक्त कर दिया है. हालाकि पुलिस जांच मैं आरोपी बने हुए हैं।

तीन किसानों ने अनुदान योजना का लाभ लेकर खरीदे स्ट्रा रीपर

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 25 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के नेतृत्व में जिले में पराली प्रबंधन के लिए किये जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है तथा किसान उनकी पहल पर शासन की अनुदान योजना के तहत सतत् रूप से पराली प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्र खरीदने के लिए आगे आये है।

इसी क्रम में 3 किसानों द्वारा ई-कृषि अनुदान पोर्टल के माध्यम से सबसिडी का लाभ लेकर स्ट्रा रीपर खरीदे है।

कृषि विकास अधिकारी अरूण शाक्य ने जानकारी दी कि किसान रफीक खान निवासी पीपल्दी, जुगल किशोर निवासी नारायणपुरा एवं बूटा सिंह निवासी जावदेश्वर द्वारा अनुदान योजना के तहत स्ट्रा रीपर खरीदे गये है। उल्लेखनीय है कि जिले में पराली प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रो की उपलब्धता के प्रति किसानों में रूचि बढी है।

मोकम सिंह रावत के निवास पर पहुंचे विधायक

नवभारत न्यूज
इंदरगढ़, 25 अक्टूबर। इन्दरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलोरी मोकम सिंह रावत की माताजी के निधन पर विधायक प्रदीप अग्रवाल उनके निज निवास पर पहुंचे इसके बाद ग्राम सिलोरी में बंटी रावत के पिताजी के निधन पर उनके निज निवास पर पहुंचे इसके बाद ग्राम खिरका इंदरसिंह रावत के पिताजी के निधन पर उनके निज निवास पर पहुंचे।

इसके बाद ग्राम बसई जीब यादव परिवार में त्रयोदशी गंग भोज भंडारा में पहुंचे इसके बाद ग्राम डिरौली पार सतीश सोनी की ताई के निधन पर उनके यहां त्रयोदशी गंग भोज भंडारा में पहुंचे इसके बाद ग्राम बघाओली नाथू सिंह गुर्जर के निधन पर उनके यहां त्रयोदशी गंग भोज भंडारा में पहुंचे इसके बाद ग्राम किटाना जनक बाबा के निधन पर उनके निज निवास पर पहुंचे सेवड़ा विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी शोक संवेदना व्यक्त की इसी क्रम में उपस्थित रहे इंदरगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रवीण गौर डी एस यादव सुजान रावत जोगेंद्र जाट किशन सिंह यादव राजेंद्र दाऊ पंचम सिंह रावत रामबरन रावत संजीव सिंह कमरिया अमर सिंह सेन नरेंद्र चौहान रामू चौहान राम लखन चौहान शैलेंद्र सिंह परमार बबलू गुर्जर बबलू चौहान राममिलन चौधरी रुस्तम सिंह कौरव चंद्रपाल यादव पुष्पेंद्र रावत दिनेश यादव पवन पाठक आदि साथ थे।

तम्बाकू सेवन से फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता कम होती है

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 25 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में जिले में तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत

अस्पताल में धूम्रपान कर रहे 10 लोगों पर 300 रूपए का जुर्माना

विभिन्न जागरूकता गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इसी क्रम में आज जिला चिकित्सालय श्योपुर में गर्भवती महिलाओं तथा उनके साथ आये पुरूष अटेंडरो को तम्बाकू सेवन के खतरो से अवगत कराया गया और तम्बाकू छोडने के लिए प्रेरणा दी गई। इसके अलावा अस्पताल

परिसर में धूम्रपान कर रहे 10 लोगों पर कुल 300 रूपये का जुर्माना भी किया गया।

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के नोडल अधिकारी डॉ प्रदीप शर्मा ने इस अवसर पर जानकारी दी कि धूम्रपान एव तंबाकू शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं तम्बाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है, तम्बाकू के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है।

पाचन क्रिया प्रभावित रहती है मुंह में घाव बनने लगता है दांत

कमजोर होने लगते हैं धीरे-धीरे मुंह का कैंसर बन जाता है। उन्होने महिला पुरूषो को जानकारी दी कि तम्बाकू में 4000 प्रकार के जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जिनमें 60 प्रकार के रसायन, कैंसर का कारण होते हैं।

इस अवसर पर डॉ प्रदीप शर्मा ने कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते हुए पाये जाने वाले 10 लोगों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 300 रूपये का जुर्माना किया गया। इस दौरान कांउसलर श्रीमती हेमलता गर्ग भी मौजूद रही।

एक नजर में

रास्ता रोकने की बात पर चार ने एक को पीटा

श्योपुर, 25 अक्टूबर। थाना मानपुर मारपीट फरि. श्यामसुन्दर पुत्र मोतीलाल बंजारा उम्र 55 साल नि. ग्राम रामबाडी ने रिपोर्ट की कि दि. 23.10.25 के 17.00 से 17.10 बजे स्थान धीरज बंजारा के ढाबा के सामने पुलिया रामबाडी आरोपीगण सीताराम पुत्र काडू, नारायाण पुत्र काडू, गुलाब पुत्र जानू, सरवन पुत्र हजारी जातिगण बंजारा नि.गण सदर ने फरि. के समधी श्रीमन बंजारा को रास्ता रोकने की बात पर से फरि व उसके भतीजो से गाली गलौच कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। दि. 23.10.25 के 18.55 बजे अप.क्र. 221/25 धारा 115(2), 296,126(2),351(3),3(5) बीएनएस कायम कर लिया हैं।

पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौच मारपीट

थाना देहात मारपीट फरि. गिर्राज पुत्र काडूराम बंजारा उम्र 42 साल नि. ग्राम रामबाडी ने रिपोर्ट की कि दि. 23.10.25 के 16.00 बजे स्थान फरि का हरि बंजारा की दुकान वाला खेत हनुमानखेडा थाना देहात आरोपीगण सुन्दर, चिरोजी, प्रकाश जातिगण बंजारा नि.गण सदर ने फरि को पुरानी रंजिश पर से मां बहिन की गन्दी गन्दी गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। दि. 23.10.25 के 17.40 बजे अप. क्र. 291/25 धारा 115(2), 296,351(3),3(5) बीएनएस कायम कर लिया हैं।

दुकान की बात को लेकर मारपीट

थाना वीरपुर मारपीट फरि. कुलदीप पुत्र राजाराम केवट उम्र 18 साल नि. रायडी थाना टेटरा मुरैना ने रिपोर्ट की कि दि. 24.10.25 के 17.00 बजे स्थान बंटी मुसलमान की दुकान पर आरोपीगण अकरम, नौसाद, बंटी जातिगण मुसलमान थाना वीरपुर ने मो.सा. की सर्विस ठीक से न करने पर फरि से मारपीट की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 24.10.25 के 17.54 बजे अप.क्र. 91/25 धारा 115(2),296,351(3),3(5) बीएनएस कायम कर लिया हैं।

सड़क दुर्घटना में एक की मृत्यु

थाना मानपुर सड़क दुर्घटना में मृत्यु फरि भागीरथ पुत्र लड्डू आदिवासी उम्र 27 साल नि. तिल्लीडेरा थाना ढोढर ने रिपोर्ट की कि दि. 24.10.25 के 13.00 बजे स्थान नई बस्ती बाग के पास मानपुर पर आरोपी अज्ञात ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरि. की मो.सा. मे टक्कर मार दी जिससे फरि. की मां की मृत्यु हो गई (मर्ग क्र. 34/25 धारा 194 बीएनएसएस, मृतिका रामप्यारी पत्नी लड्डू आदिवासी उम्र 50 साल नि. तिल्ली डेरा थाना ढोढर)। दि. 24.10.25 के 17.20 बजे अप.क्र. 222/25 धारा 106(1), 281,125(ए) बीएनएस कायम कर लिया हैं।

9 लीटर अवैध शराब पकड़ी

थाना ढोढर अवैध शराब पकड़ी आरोपी सुनीता पत्नी मंजू बंजारा उम्र 30 साल नि. आमली का सहराना को दि. 24.10.25 के 17.40 बजे स्थान आरोपिया के घर के बाहर पर कब्जे से 09 ली. हा.भ. की कच्ची शराब कीमती 900/- रु. के बेचते पकड़ा। दि. 24.10.25 के 18.28 बजे अप.क्र. 89/25 धारा 34 आब. एक्ट कायम कर लिया हैं।

आज कराहल, सेसईपुरा, सिलपुरी एवं खिरखिरी में बंद रहेगी सप्लाई

श्योपुर। 132 केव्ही उपकेन्द्र कराहल पर स्थापित 50 एमव्हीए ट्रांसफार्मर मेक बीबीएल पर पोस्ट मानसून मेंटेनेंस का अत्यावश्यक कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस कारण 26 अक्टूबर को इस उपकेन्द्र से निर्गमित 33 केव्ही फीडर सेसईपुरा, कराहल टाउन, सिलपुरी एवं खिरखिरी प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। महाप्रबंधक विधुत वितरण केन्द्र ने बताया कि उक्त कार्य के चलते सेसईपुरा, कराहल टाउन, सिलपुरी एवं खिरखिरी फीडर से 26 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित फीडर क्षेत्र में विधुत की आपूर्ति बंद रहेगी।

11 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया

नवभारत न्यूज
इंदरगढ़, 25 अक्टूबर। इन्दरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिगरु में 11 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जिसके मुख्य अतिथि सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल के द्वारा सोल श्रीफल से विधायक का स्वागत उपस्थित इंदरगढ़ मंडल अध्यक्ष राम लखन गुर्जर इंदरगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रवीण गौर भाजपा वरिष्ठ नेता अखिलेश मुदगिल विनोद उपाध्याय सुजान रावत डी एस यादव पंचम सिंह रावत राजेंद्र दाऊ बबलू चौहान बबलू गुर्जर प्रतिपल यादव संजीव कमरिया रिंकू गुप्ता चंदन गुर्जर जोगेंद्र जाट हर नारायण सेन चंद्रपाल यादव रामबरन रावत किशन सिंह यादव सुनील सेन पवन पाठक आदि मौजूद थे।

अल्पविराम कार्यशालाओं का आयोजन 28 से

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 25 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में एक दिवसीय अल्पविराम कार्यशालाओं का आयोजन विकासखण्ड मुख्यालयों पर 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों के जीवन में आनंद की अनुभूति तथा कार्यो में सकारात्मकता का भाव बढाने के उद्देश्य से यह कार्यशालाएं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की जा रही है।

सीईओ जिला पंचायत सुश्री सौम्या आनंद के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर को श्योपुर विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सभागार में कार्यशाला आयोजित की जायेगी। इसी प्रकार कराहल विकासखण्ड के लिए जनपद सभागार कराहल में 29 अक्टूबर को तथा विजयपुर विकासखण्ड के लिए जनपद सभागार विजयपुर में 30 अक्टूबर को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित होगी। इन कार्यशालाओं में विकासखण्ड क्षेत्र के 50 से 60 शासकीय अधिकारी, कर्मचारी भाग लेंगे।

पुरानी रंजिश को लेकर सात ने एक को पीटा

श्योपुर, 25 अक्टूबर। थाना बड़ौदा मारपीट फरिया. अनीता पुत्री गिर्राज गुर्जर उम्र 19 साल नि. वार्ड क्र. 06 थाना बड़ौदा ने रिपोर्ट की कि दि. 24.10.25 के 20.30 बजे स्थान फरिया के चचेरे भाई अनिल गुर्जर के घर के सामने पर आरोपीगण रामराज, देवराज, मोनू, दिलखुश, मुरारी, तोलाराम, मुकुट जातिगण गुर्जर नि. वार्ड क्र. 06 बड़ौदा ने पुरानी रंजिश को लेकर फरिया. व उसके भाई के दोस्त किशन माहौर को जातिसूचक गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। दि. 25.10.25 के 01.24 बजे अप.क्र. 284/25 धारा 115(2),296,351(3),118 बीएनएस 3(1)द, 3(1)ध,3(2) व्हीए एससी/एसटी एक्ट कायम कर लिया हैं।

पकौड़िया का सहराना में स्वास्थ्य शिविर आयोजित, 60 रोगियों को मिला उपचार

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 25 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा गत दिवस बैठक के दौरान दिये गये निर्देशो के क्रम में आयुष विभाग द्वारा विभिन्न औषधालयों पर स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे है, इसी क्रम में आज कराहल विकासखण्ड के पकौडिया का सहराना में स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

जिला आयुष अधिकारी डॉ जीपी वर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर होम्योपैथी कराहल के तत्वाधान में आयोजित शिविर में आयुष चिकित्सक डॉ अनूप सोनी द्वारा 60 रोगियों की जांच कर उनका उपचार किया गया। शिविर में 36 पुरूष रोगी एवं 24 महिला रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर बीमारी अनुसार निशुल्क दवाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही ग्रामीणों के बीपी, शुगर एवं हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई। शिविर के माध्यम से उच्चरक्तचाप, मधुमेह, उदर रोग, संधिवात, आमवात, मूत्ररोग, अनिद्रा, अर्श विभिन्न मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, ज्वर, वायरल संक्रमण, दस्त, टाइफाइड, त्वक रोग, एलर्जी, पेटदर्द, सिरदर्द, गले में खराश, आंखों में जलन आदि के मरीजों का उपचार किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को योग प्राणायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई।

विधायक विधान सभा अध्यक्ष से मिले

इंदरगढ़, 25 अक्टूबर। इंदरगढ़ सेंवढा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से उनके ग्वालियर निवास पर भेंट कर दीपावली की शुभकामनायें दीं इस अवसर पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल के साथ माधवेंद सिंह परिहार के अलावा प्रभात श्रीवास्तव निज सहायकए पी एस ओ सुभाष आर्य आदि उपस्थित रहे।

कृषि उपज मंडियों में लगाए गए कैमरे

सागर 25 अक्टूबर. कलेक्टर संदीप जी.आर के निर्देश का तत्काल असर देखने को मिला जब जिले की सभी कृषि मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया गया. सीसीटीवी कैमरे लगने से किसानों को सोयाबीन एवं मक्का की उपार्जन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा क्योंकि सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी स्मार्ट सिटी के सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी.

कलेक्टर ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए चलाई गई भावांतर योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उनका समय पर सोयाबीन का उपार्जन हो और सभी व्यवस्थाएं आवश्यक सुनिश्चित की जा सके.

सायबर जागरूकता के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 25 अक्टूबर। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के पालन में सायबर जागरूकता माह चलाया जा रहा है इसी क्रम में जिला

गाँव कस्बों में जाकर लोगों को किया जागरूक

श्योपुर में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए थे

इसी तत्वाधान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया की मॉनिटरिंग में पुलिस द्वारा आम नागरिकों को सायबर अपराध एवं सायबर धोखाधड़ी के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है। आज दिनाक 25.10.2025 को थाना प्रभारी मानपुर निरीक्षक पप्पू यादव एवं उनकी टीम द्वारा मानपुर थानाक्षेत्र के ग्राम जैनी, हीरापुर,एवं मानपुर कस्बे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को सायबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा किसी भी प्रकार की सायबर धोखधड़ी हो जाने पर टॉलफ्री नंबर 1930 एवं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग (एनसीआरपी पोर्टल) पर शिकायत दर्ज करने के बारे में आम नागरिकों को जानकारी दी गई।

पुलिस ने अवैध बंदूक की जप्त मामला कायम : थाना बरगवां - अवैध बंदूक पकड़ी आरोपी नन्दू पुत्र नानसिंह भिलाला उम्र 33 साल नि. ग्राम मराठा को दि. 24.10.25 के 16.36 बजे स्थान पप्पू भिलाला के खेत के पास पर कब्जे से एक टोपीदार एक नाली बंदूक मय बारूद छर्रे के कीमती 12500/-रु. की जप्त की।

आम सूचना

श्री कैलाश उर्फ कैलाशनारायण शर्मा पुत्र श्री लटूरलाल उर्फ लटूर एवं श्रीमती सरोज बाई पत्नी श्री कैलाशनारायण शर्मा के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन स्थित ग्राम रायपुरा, प.ह.रायपुरा, तहसील एवं जिला श्योपुर (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.139 (बी) ग्राम रायपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 115.00 वर्गमीटर है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भूमि स्वामी, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में-भवन श्री राधेश्याम शर्मा एवं दक्षिण में-मंदिर गणेश जी है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री कैलाश उर्फ कैलाशनारायण शर्मा पुत्र श्री लटूरलाल उर्फ लटूर के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री कैलाश उर्फ कैलाशनारायण शर्मा द्वारा उक्त सम्पति के सम्बन्ध में श्रीमती सरोज बाई पत्नी श्री कैलाशनारायण शर्मा के पक्ष में ई-रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख क्र. एमपी26आईजीआर18592025ए100944083 दिनांक 17.10.2025 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पति से सम्बन्धित वर्ष 2025 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री कैलाश उर्फ कैलाशनारायण शर्मा एवं श्रीमती सरोज बाई द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार इण्डिया शेल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710